सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्र. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक **04/2018 दिनांक 25.05.2018**

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 4915
Date 31 OCT 2018
AGM
SE (O)
EE
Section

श्री एस.के.बंड **अपीलार्थी**
सहायक अभियंता
केन्द्रीय प्रयोगशाला संभाग
छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., भिलाई
(छ.ग.) पिन–490021

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या **प्रतिअपीलार्थी (तत्कालीन)**
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 17/10/2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री एस.के.बंड की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 04/2018 दिनांक 25.05.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एस.के.बंड ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थीः–

i. मेरे (एस.के.बंड, सहायक अभियंता) आवेदन जो दिनांक 05.04.2017 को अतिरिक्त महाप्रबंधक (मां.सं.) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ। इस आवेदन पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण, जिसमें कार्यालयीन टीप, नोटशीट, आदेश, निर्णय इत्यादि।
ii. आवेदन/अभ्यावेदन के निपटान/निस्तारीकरण को लंबित रखते हुए दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 01–04/पीडी–छः/वरि.सूची./2359 दिनांक 06.12.2017 के माध्यम से जारी की गई है। उसके जारी करने के पूर्व मेरे अभ्यावेदन पर निराकरण की कार्यवाही नहीं करने अथवा अभ्यावेदन को लंबित रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारी व अभ्यावेदन निराकरण समयसीमा/चार्टर के संबंध में जानकारी परिपत्रों सहित देवें। अभ्यावेदनों का निराकरण संबंधी कार्यालयीन आदेश (duty allotment copy) की प्रति।
iii. सरल क्रमांक 77 एवं 78 पर दर्ज अभियंताओं के प्रशिक्षण परिणाम व प्रशिक्षण एक्सटेंशन के संबंध में।
iv. कनिष्ठ अभियंताओं के प्रशिक्षण में असफल होने पर प्रशिक्षण काल विस्तार व विस्तार उपरांत परीक्षा के परिणाम आदेश जारी होने पर किस तिथि अनुसार परिक्षार्थी DT/TA/JE को प्रथम नियुक्ति का पात्र माना जाता है, इससे संबंधित परिपत्र व जानकारी सहदस्तावेज प्रदान करने का कष्ट करें।

उपरोक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपूर्ण, भ्रामक उपलब्ध करायी गई है, जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है, अतः अपील प्रस्तुत है। अतएव संपूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे।

(3) दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–04/2018/18 दिनांक 11.06.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 20.06.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री बंड को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव अपील तथ्यों के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –छः/आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभागों द्वारा कुल 04 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 967 दिनांक 27.04.2018 के माध्यम से आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत रूपये 2/– प्रतिपृष्ठ की दर से 04 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 08/– मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् निर्धारित समयावधि के भीतर सूचित किया गया।

जिसके तारंतम्य में आवेदक द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये जाने के उपरांत उन्हें कुल 04 छायापृष्ठों की जानकारी पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 08.05.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

(5) उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार है :–

a) बिन्दु क्रमांक 01 – उक्त आवेदन पर वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही पूर्ण होने पर समस्त दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध कराए जा सकते है।
b) बिन्दु क्रमांक 02 – वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नियमानुसार प्रतिवर्ष किया जाता है, जिस पर आपत्तियां प्राप्त होने पर नियमानुसार उन आपत्तियों का निराकरण किया जाता है।
c) बिन्दु क्रमांक 03 – उक्त जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगी गई है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
d) बिन्दु क्रमांक 04 – उक्त जानकारी से संबंधित परिपत्र इस प्रभाग में उपलब्ध नहीं है, तथापि सीधी खुली भर्ती के माध्यम से कनि.अभियंता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्ति से संबंधित जानकारी 02 पृष्ठों में संलग्न है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5 (ii) में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं। अतः प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधि संगत एवं न्याय संगत है, जो स्वीकार योग्य है। क्योंकि तत्कालीन समयावधि में वांछित बिन्दु क्रमांक 01 व 03 की जानकारी प्रक्रियाधीन थी, जो वर्तमान में भी प्रक्रियाधीन है, अतएव अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। वस्तुतः प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 04/2018 दिनांक 25.05.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –04/2018/ 30 **रायपुर, दिनांक 17/10/2018**

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–छः/आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री एस.के.बंड, सहायक अभियंता, केन्द्रीय प्रयोगशाला संभाग, छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., भिलाई, जिला–दुर्ग, (छ.ग.), पिन – 490021 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष–0771–2512106,2512108

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700